

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तारीख में
जारी हुए

15.03.2021

प्रार्थीया संजू पत्नी विश्वनाथ शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गनेड़ी द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत खसरा सं. 514 रकबा 3.80 हेक्टेयर वाके ग्राम सबलपुरा में माननीय न्यायालय के आदेश कमांक/राजस्व/19/172 दिनांक 14.02.2019 पर पुर्नविचार किये जाने बाबत पेश होने पर उक्त आवेदन मय संलग्न दस्तावेजात आदि पर तहसीलदार, घोद से रिपोर्ट मय दस्तावेजात न्यायालय हाजा में पेश किये गये।

तहसीलदार घोद से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि "जमाबंदी संवत् 2073-76 ग्राम सबलपुरा में खसरा सं. 514 रकबा 3.80 हेक्टेयर की खातेदारी अपवादित खाते के तौर पर दर्ज थी। उसके पश्चात् डीआईएलआरएमपी प्रोग्राम के तहत सेग्रीगेशन में उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश कमांक/राजस्व/19/172 दिनांक 14.02.2019 के निर्णय द्वारा उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी दुरुस्त की गई। जमाबंदी संवत् 2061-64, 2065-68, 2073-76 में खसरा नं. 514 रकबा 3.80 हेक्टेयर की जांच की गई। जिसमें खातेदारों का हिस्सा वर्तमान जमाबंदी में खातेदारों द्वारा विक्रय-पत्रों के अनुसार नहीं है। जिसका उपरोक्त जमाबंदियों से मिलान किया गया जो निम्न प्रकार दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित है-

क्र. सं.	नाम खातेदार	जमाबंदी में दर्ज हिस्सा	प्रस्तावित हिस्सा
1	अर्जुनलाल पुत्र श्रीलाल जाति माली नि. सबलपुरा	1371/7600	7556/38000
2	कुलदीप सिंह शेखावत पुत्र सूरत सिंह शेखावत जाति राजपूत नि. वार्ड नं. 1 न्यू शिव कॉलोनी, फतेहपुर रोड़, सीकर	141/4750	1128/38000
3	गुलशन बानो पत्नी हाकम अली जाति मुसलमान सा. गनेड़ी	529/7600	2670/38000
4	नरेशकुमार सैनी पुत्र जवाहरलाल सैनी जाति माली नि. भोलजी ढाणी, राधाकिशनपुरा, तह. सीकर	281/9500	1124/38000
5	प्रकाश पुत्र रामदेव जाति माली नि. वार्ड नं. 1, सीकर	173/2375	2768/38000
6	पुर्णमल पुत्र रामदेव जाति माली नि. वार्ड नं. 1, सीकर	409/7600	2045/38000
7	परमेश्वरलाल पुत्र रामदेव जाति माली नि. वार्ड नं. 1, सीकर	2239/38000	2239/38000
8	मो. इकबाल पुत्र हमीदखां भारती जाति मुसलमान नि. वार्ड नं. 13 मोहल्ला हुसैनगंज, सीकर	1717/38000	2433/38000
9	मो जावेद खान पुत्र मो. जफर खान जाति मुसलमान नि. वार्ड नं. 31, पठानों का मोहल्ला, जाटिया बाजार, सीकर	281/4750	2248/38000
10	मो. शाकिर पुत्र निजामुद्दीन भारती जाति मुसलमान नि. मोहल्ला रोशनगंज, वार्ड नं. 01, सीकर	281/9500	1124/38000
11	राजू पुत्र श्रीलाल जाति माली नि. सीकर	147/4750	2176/38000
12	विश्वनाथ सेवदा पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण नि. गनेड़ी	128/2375	98/38000
13	संजु पत्नी विश्वनाथ शर्मा जाति ब्राह्मण नि. गनेड़ी	429/9500	2433/38000
14	सुषमा पत्नी मुरली तोषनीवाल जाति महाजन नि. जसवंतगढ़ तह. लाडनू	529/7600	2670/38000
15	हाकम अली खान पुत्र लादू खान जाति मुसलमान नि. गनेड़ी	3261/19000	5288/38000



उपखण्ड अधिकारी
घोद मु. सीकर

उपरोक्तानुसार दुरुस्ती की अभिशंषा की जाती है।" इस बाबत प्रार्थीगण पक्ष के खातेदार विश्वनाथ सेवदा पुत्र सीताराम सन्जु पत्नी विश्वनाथ शर्मा समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण गनेड़ी की ओर से शपथ-पत्र भी पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किये गये। अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट मय प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर में खसरा सं. 514 रकबा 3.80 हेक्टेयर के संबंध में निम्नानुसार दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

क्र. सं.	नाम खातेदार	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	अर्जुनलाल पुत्र श्रीलाल जाति माली नि. सबलपुरा	1371/7600	7556/38000
2	कुलदीप सिंह शेखावत पुत्र सूरत सिंह शेखावत जाति राजपूत नि. वार्ड नं. 1 न्यू शिव कॉलोनी, फतेहपुर रोड़, सीकर	141/4750	1128/38000
3	गुलशन बानो पत्नी हाकम अली जाति मुसलमान सा. गनेड़ी	529/7600	2670/38000
4	नरेशकुमार सैनी पुत्र जवाहरलाल सैनी जाति माली नि. भोलजी ढाणी, राधाकिशनपुरा, तह. सीकर	281/9500	1124/38000
5	प्रकाश पुत्र रामदेव जाति माली नि. वार्ड नं. 1, सीकर	173/2375	2768/38000
6	पुर्णमल पुत्र रामदेव जाति माली नि. वार्ड नं. 1, सीकर	409/7600	2045/38000
7	परमेश्वरलाल पुत्र रामदेव जाति माली नि. वार्ड नं. 1, सीकर	2239/38000	2239/38000
8	मो. इकबाल पुत्र हमीदखां भारती जाति मुसलमान नि. वार्ड नं. 13 मोहल्ला हुसैनगंज, सीकर	1717/38000	2433/38000
9	मो जावेद खान पुत्र मो. जफर खान जाति मुसलमान नि. वार्ड नं. 31, पठानों का मोहल्ला, जाटिया बाजार, सीकर	281/4750	2248/38000
10	मो. शाकिर पुत्र निजामुद्दीन भारती जाति मुसलमान नि. मोहल्ला रोशनगंज, वार्ड नं. 01, सीकर	281/9500	1124/38000
11	राजू पुत्र श्रीलाल जाति माली नि. सीकर	147/4750	2176/38000
12	विश्वनाथ सेवदा पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण नि. गनेड़ी	128/2375	98/38000
13	सन्जु पत्नी विश्वनाथ शर्मा जाति ब्राह्मण नि. गनेड़ी	429/9500	2433/38000
14	सुषमा पत्नी मुरली तोषनीवाल जाति महाजन नि. जसवंतगढ़ तह. लाडनू	529/7600	2670/38000
15	हाकम अली खान पुत्र लादू खान जाति मुसलमान नि. गनेड़ी	3261/19000	5288/38000

पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए खातेदार स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।



सुमुखण्ड अधिकारी
धोद, मु. सीकर